

मानव गरिमा और समानता के पक्षधर : डॉ. भीमराव अम्बेडकर

डॉ. लालजीत राम

असि० प्रोफेसर- हिन्दी,

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आलापुर, अम्बेडकरनगर, उ०प्र०

शोध सारांश:- डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर 20वीं सदी के वह महानायक थे जिन्होंने 'मानव गरिमा' और 'समानता' को भारत के सामाजिक-राजनीतिक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया। उनका पूरा जीवन इस संघर्ष को समर्पित था कि हर इंसान को इंसान समझा जाए। बचपन में स्कूल में अलग बैठना, पानी न पी पाना, 'महार' होने का अपमान- इन अनुभवों ने अंबेडकर को सिखाया कि गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की नहीं, जाति की भी होती है। इसलिए उनके लिए आजादी का मतलब था- 'पहले सामाजिक आजादी, फिर राजनीतिक। वे कहते थे, "जिस समाज में इंसान को इंसान न समझा जाए, वह समाज सभ्य नहीं। उन्होंने दलितों को 'दलित' की जगह 'शोषित' कहना शुरू किया और बाद में 'बहुजन' की अस्मिता दी। उनका नारा था- 'जीना है तो स्वाभिमान से जियो। अंबेडकर ने समानता को मौलिक अधिकार बनाया। अनुच्छेद 14, 15, 17, 46 कमजोर वर्गों की रक्षा- ये सब उनके दर्शन के ही प्रतिरूप हैं। वे मानते थे कि बिना संवैधानिक ताकत के सामाजिक समानता टिक नहीं सकती। डॉ. अंबेडकर मानव गरिमा और समानता के केवल पक्षधर नहीं, 'शिल्पकार' थे। उन्होंने संविधान से लेकर सामाजिक आंदोलन तक, हर मंच पर यह साबित किया कि लोकतंत्र की पहली शर्त है- हर नागरिक को बराबर और गरिमामय मानना। आज का भारत उनके इसी सपने को पूरा करने की कोशिश है।

मूल शब्द- सर्वव्यापी, भू स्वामियों, आजीविका, हैसियत, अपरिहार्य, अस्पृश्य, गुरुतर, दिग्गज, निष्क्षेप, वैश्विक, नारकीय।



डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पृश्य दलित जाति के थे, जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े। इस जाति को अनुसूचित जाति की संज्ञा दी गयी है। डॉ. अम्बेडकर इस व्यवस्था से पार न पाने पर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने पर विवश हो गये। "मैं दलित वर्ग को जो धर्म देने जा रहा हूँ, वह बौद्ध धर्म है। इस पर सभी लोग प्रसन्न हों। इसमें आत्मा, ईश्वर और यहाँ तक कि देवताओं को लेकर कोई भ्रम नहीं है। इसमें सर्वव्यापी भाई-चारा न्याय, समानता और मानवता की सेवा की भावना भरी है। हिन्दू धर्म की नींव चतुर्वर्ग पर आधारित है, जो असमानता, अन्याय, भेदभाव और शोषण का सिद्धान्त है। मैं धर्म दलित वर्ग को दे रहा हूँ, वह स्वयं भारत का है। इसकी अपनी परम्पराएँ और संस्कृति है और एक दिन यह धर्म विश्व धर्म होगा।"¹

डॉ. अम्बेडकर भारत के असाधारण विद्वान, सामाजिक-राजनैतिक चिन्तक और समाज सुधारक थे। दलितों की स्थिति देखकर उन्होंने दलितों के विकास के लिए समाज में फैली अनेक बुराइयों को नियन्त्रित करने का प्रयास किया। उनका अपना विचार था कि दलितों की दशा सुधारने से पूर्व परिस्थितियों का सुधार करना होगा, जिसके कारण व्यक्ति दलित कहलाता है। संसद में बहस करते समय डॉ. अम्बेडकर ने इस सवाल को जोरदार ढंग से उठाया था। उन्होंने सितम्बर 1954 में अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग वर्ष 1953 की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए सदन का ध्यान जमीन के इसी सवाल पर आकृष्ट कराया था। प्रश्न सरकार द्वारा मूल निवासियों को जमीन देने का था। डॉ. अम्बेडकर ने तीन सवाल किए- 1. क्या मूल निवासियों को देने के लिए उपलब्ध जमीन है? 2. क्या सरकार मूलनिवासियों को जमीन देने के लिए भू-स्वामियों से जमीन लेने की शक्ति रखती है? और 3. यह कि यदि कोई मूलनिवासियों को जमीन बेचना चाहता है तो क्या सरकार उसे खरीदने के लिए धन देगी ? उन्होंने कहा कि यह तीन तरीके हैं, जिससे मूलनिवासियों को जमीन मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार यह कानून बनाये कि कोई भी भू-स्वामी एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता और सीमा तय हो जाने के बाद जितनी फालतू जमीन बचती है, उसे वे मूलनिवासियों को उपलब्ध कराएँ। उन्होंने कहा कि यदि सरकार यह नहीं कर सकती तो वह मूल निवासियों को धन दे ताकि यदि कोई जमीन बेचता है तो उसे खरीद सकें।



डॉ. अम्बेडकर ने इस बात का खण्डन कि जमीन आर्थिक आजीविका का साधन है। उनका मत था कि भारत में जमीन रखना आर्थिक जीविका का मामला नहीं है वरन सामाजिक हैसियत का मामला है। जमीन रखने वाला आदमी अपने आप को उस आदमी से उच्चतर हैसियत वाला मानता है जो जमीन नहीं रखता है। यही कारण है कि कोई हिन्दू नहीं चाहता कि मूलनिवासी जातियों के लोग जमीन पाकर उच्च जातियों के समान स्तर पर पहुँचें, जो हिन्दू समाज व्यवस्था के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि गाँवों में मूल निवासी जातियों के लोगों के लिए जमीन का एक टुकड़ा प्राप्त करना भी लगभग असम्भव है।²

सामाजिक स्तर पर छुआछूत एक ऐसी विकृत व्यवस्था है जो कोढ़ की भाँति वह उच्च जातियों के अन्दर से समाप्त होने वाली नहीं थी। यदि अधिक इलाज के बाद ठीक भी होती है तो वह कोढ़ अपना निशान छोड़ ही देता है, वैसी व्यवस्था जाति प्रथा की थी। ऐसी स्थितियों में कैसे अछूत एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकता था? डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो उसमें विवेक/ सोच की शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। मैं संस्कृत पढ़ना चाहता था परन्तु अध्यापक ने मुझे अछूत होने के कारण पढ़ाने से इंकार कर दिया। जिसके फलस्वरूप मैं संस्कृत पढ़ने से वंचित रह गया। स्कूल जाते समय प्रतिदिन पुस्तकों के साथ मुझे टाट का एक टुकड़ा भी ले जाना पड़ता था।³ डॉ. अम्बेडकर एक महान् व्यक्तित्व, देशभक्त और मानवता के पक्षधर थे। वे राजनीति के माध्यम से समाज के बीच सहभागिता से जातीय दूरियों को कम करना चाहते थे। वह समझते थे कि साथ रहने से एक दूसरे के प्रति प्रेमभाव जागेगा। क्योंकि राजनीति से सामाजिकता के करीब जाया जा सकता है। "मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने उद्देश्यों के प्रति ईमानदार नहीं है। यदि वह ईमानदार होती तो वह निश्चित रूप से वैसे ही कदम उठाती, जैसे कि कांग्रेस के सदस्यों को खद्वर पहनना आवश्यक है और इसी प्रकार शर्त रखती कि अस्पृश्यता विरोध भी अपरिहार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसने अस्पृश्य पुरुष और स्त्री को अपने घर में नौकरी दी हो और किसी अस्पृश्य छात्र के शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की हो या किसी अस्पृश्य छात्र के साथ बैठकर एक दिन भी भोजन खाया हो। कांग्रेस के सदस्यता के लिए यदि इस प्रकार की शर्तें रखी गयी होती तो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अस्पृश्यों के मन्दिर प्रवेश का विरोध करते देखने की नौबत नहीं आती।"⁴ सभी प्रकार से वंचित होने का दर्द था जिसे जानकर मानवता भी शर्मिन्दा होती होगी। डॉ. अम्बेडकर का जन्म एक अछूत परिवार में हुआ था जिसके कारण उन्हें अपने प्रारम्भिक जीवन में अनेक यातनाओं एवं समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अनेक ऐसी घटनाएँ घटित हुईं, जिन्होंने उनके मन पर गहरी चोट की थी और उनके दिल में इस प्रथा के विरुद्ध विद्रोह की भावना भड़क उठी।⁵



नव स्वतंत्र गणराज्य के संविधान निर्माण के गुरुत्तर दायित्व हेतु बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के चयन के पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाल रहे हैं प्रख्यात गांधीवादी चिन्तक और वरिष्ठ लेखक गिरिराज किशोर 'महात्मा गांधी की नजर में डॉ. अम्बेडकर संविधान के सही नायक थे' नामक शीर्षक से लिखित लेख का कुछ अंश- "जब सरकार बनी तो उसमें सवाल था कि कानूनमंत्री कौन बने ? क्योंकि संविधान बनवाने का दायित्व कानून मन्त्रालय का था। के० एम० मुंशी जैसे कई दिग्गज विधिवेत्ता थे और कांग्रेस के सम्मानित वरिष्ठ सदस्य भी थे। एकाध लोगों को शायद परखा भी गया था। पर गांधी ऐसा व्यक्ति चाहते थे कि जो निष्पेक्ष हो, देश की नब्ज समझता हो और अपने पूर्वाग्रहों को दरकिनार करके निर्णय लेने की सामर्थ रखता हो। जरा सी चूक पर देश का समन्वयात्मक चरित्र नष्ट हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान बन चुका था और कट्टरवादी वर्ग नहीं चाहता था कि मुसलमानों को देश में रहने दिया जाय या उनको समानता मिले। गांधी जी 'हिन्द स्वराज' में लिख चुके थे कि यह देश हिन्दू का है, न मुसलमान का, हर किसी का है। बहुत सोच विचार कर वे इस निर्णय पर पहुँचे की संविधान निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं। इस निर्णय का आधार 1-उनकी विद्वता 2-विभिन्न देशों के संविधान की जानकारी 3-मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता 4- वैश्विक दृष्टिकोण 5-भारत में होने वाले जातीय और धार्मिक भेदभाव के बारे में वैचारिक स्पष्टता और तटस्थता आदि थे। प्रधानमंत्री नेहरू असहमत थे। वे समझते थे कि वे बापू विरोधी हैं। पता नहीं उनके विचारों को वे अहमियत दें या न दें। सरदार पटेल को गांधी ने समझाया कि नेहरू इस बात की चिंता न करें कि कौन किसके खिलाफ है। सबसे बड़ी चिन्ता इस बात की होनी चाहिए देश के हित में कौन सबसे अच्छा काम कर सकता है। तुम मेरी तरफ से नेहरू से कहो कि भले ही डॉ. अम्बेडकर मेरे खिलाफ हों पर वे स्पष्ट सोच और तर्कसम्मत (रेशनल) सोच के व्यक्ति हैं। देश के हित में सोचते हैं। नेहरू जी मान गये और डॉ. अम्बेडकर को कानून मंत्री के पद के लिए सम्मान आमन्त्रित किया। संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर निर्वाचित हुए।⁶ स्वतन्त्र भारत को एक ऐसे ही कुशल संविधान शिल्पी की आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन किया।

सामाजिक जीवन में हर व्यक्ति को समान रूप से सुख-दुःख नहीं मिलता, यह जाति व्यवस्था के आधार पर निर्भर है। कुछ लोग आनन्द और विलासपूर्ण जीवन जीते हैं तो कुछ लोग दरिद्रता और जातीय दंश के शिकार पशुवत् और नरकीय जीवन बिताने के लिए बाध्य रहते हैं। ये सर्वाधिक परिश्रम करने के बाद भी सभी सुविधाओं से वंचित हैं। क्योंकि हिन्दू धर्म अभिन्न रूप में भी अपने को समझता रहा, लेकिन हिन्दू धर्म के ठेकोदारों ने हिन्दुत्व के प्रतीक वेद-शास्त्रों और देवालियों से दूर रहने के लिए बाध्य किया और यहाँ केवल हिन्दुओं का राज्य होगा। राष्ट्रीय एकता के लिए एक ही धर्म होना चाहिए। 'हिन्दू-हिन्दू बन्धु-बन्धु।' हम सब हिन्दू हैं। हम सब बन्धु हैं।



तो फिर हम गाँव के बाहर क्यों ?, हम अछूत कैसे ?, हमें मन्दिर में प्रवेश क्यों नहीं? हमारे लिए अलग पनघट क्यों?, अलग श्मशान भूमि क्यों ?, हमारी अलग बस्तियाँ क्यों? हम पर जुल्म क्यों होता है? इस प्रकार बुरे खयाल आ जाते हैं।' जबकि भारत में ऐसी वर्ण व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए पूँजीपतियों द्वारा अनेक उपक्रम आज भी किये जा रहे हैं। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि डॉ. अम्बेडकर के बहुत प्रयास के बावजूद भी जाति, छुआछूत दलित के हिस्से में है तो किस प्रकार समानता और मानवता का भाव एक दूसरे के प्रति आयेगा। कहा जाता है कि 1970 में महाराष्ट्र के दलित पेंथर ने 'दलित' शब्द का प्रचार किया। परन्तु गाँधी के मतानुसार 'दलित' शब्द के प्रथम प्रयोक्ता विवेकानन्द थे।

गाँधी जी का कहना है कि हमने उनका दमन किया, इसलिए दलित शब्द औचित्यपूर्ण है। अम्बेडकर का आगमन गाँधी के बाद होता है। 1915 में अछूतों ने गाँधी के सम्मान में एक समारोह किया। गाँधी ने कहा अछूतों को जूठा खाना दिया जाता है, पानी नहीं मिलता। उनके पास न कपड़ा है, न मकान। कुम्भकोडम में ब्राह्मणों की तानाशाही चलती है। केरल की एक सड़क पर अछूतों को चलने की मनाही थी। गाँधी के नेतृत्व में अछूतों ने इसके विरोध में एक जुलूस निकाला। इसके लिए उन्हें धमकी भी मिली। उनका कहना था कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का अंग नहीं है। यदि इस साँप को मारा नहीं गया तो हिन्दू धर्म को ही निगल जायेगा।"8

डॉ. अम्बेडकर साहब ने 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दिये गये भाषण में उन पिछड़ों, दलितों को सम्बोधित करते हुए कहा कि "जो व्यक्ति न तो अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है और न दूसरों के लिए, अर्थात् न अपनी स्वतन्त्रता एवं समानता की चिन्ता करता है और न अन्य लोगों के लिए, वह निरर्थक जीवन के अस्तित्व में जी रहा है। वह अपने लिए ही नहीं वरन समस्त संसार के लिए व्यर्थ है। जिस आदमी ने अन्य लोगों की स्वतन्त्रता तथा समानता के लिए संघर्ष किया, वह श्रेष्ठ एवं महान दोनों ही है और जिस मनुष्य ने अपने लिए ही नहीं वरन् सबके कल्याण में योगदान किया है, वह निश्चित रूप से सर्वोत्तम सदगुणों से विभूषित व्यक्तित्व वाला आदमी है। जीवन में सफलता का अर्थ है पीड़ितों को इंसान के स्तर तक उठाना। मेरी जो भी उपलब्धि है, वह मेरे समुदाय की शक्ति के ही कारण है। मुझे गर्व है कि मैं अछूत पैदा हुआ। हम गरिमा और आत्म-सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें हिन्दुओं ने अभी तक हमारे लिए निषिद्ध कर रखा था। हमें अपने जीवन को इतना समृद्ध एवं सुन्दर बनाना चाहिए जितना संभव हो।"

सन्दर्भ-

1. दलित दस्तक मार्च 2016 पृ० सं० 24
2. बहुजन-युग हिन्दी मासिक जून-जुलाई 2016 पृ० सं० 21



3. बाबा साहब ने कहा था-संकलन-मोहनदास नैमिशराय एवं ए० आर० अकेला पृ० सं० 14
4. वही पृ० सं० 36
5. समाज विज्ञान शोध पत्रिका वीरेन्द्र शर्मा, अक्टूबर 2011, मार्च 2012 पृ०सं० 158
6. हिन्दुस्तान समाचार पत्र सम्पादकीय लेख से 26 जनवरी 2016
7. दलित ब्राह्मण-शरण कुमार लिंबाले, वाणी प्रकाशन नयी दिल्ली पृ० सं० 63
8. हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास-बच्चन सिंह, राधा कृष्ण नयी दिल्ली पृ० सं० 515